राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ4(21)ग्रावि/अनु–8/विसी/2022 जयपुर,दिनांकः 07/09/2022

बैठक कार्यवाही विवरण

प्रमुख शासन सचिव महोदया, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज की अध्यक्षता में दिनांक 30.08.2022 को शासन सचिवालय में विभाग की संचालित योजनाओं की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शासन सचिव, ग्रामीण विकास, शासन सचिव, पंचायती राज, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण एवं निदेशक, पंचायतीराज तथा राज्य स्तरीय योजना प्रभारी उपस्थित रहें।

प्रमुख शासन सचिव महोदया के निर्देशानुसार योजनाओं की प्रगति के अनुसार जिलेवार रैकिंग के अनुसार समीक्षा की गयी एवं प्रगति के संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किये गये:–

1. **महात्मा गांधी नरेगाः–**

- आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजनान्तर्गत श्रमिक नियोजन, मानव दिवस सृजन, औसत श्रमिक दर, 100 दिवस का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों, समयबद्ध भुगतान, व्यक्तिगत लाभ के कार्य, एनआरएम कार्यो, जियो टेगिंग, एरिया ऑफिसर निरीक्षण, अमृत सरोवर अभियान, ग्रामीण क्षेत्र में उद्यान विकास कार्य, पंचशाला एवं फार्म पौण्ड/डिग्गी निर्माण कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से विस्तृत चर्चा की गई।
- प्रमुख शासन सचिव महोदया ने उद्यान विकास कार्य में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति जारी नहीं करने को गंभीरता से लिया तथा कम प्रगति वाले जिलों यथा– बारां, चित्तौडगढ, सिरोही, जैसलमेर, दौसा को नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया। अन्य सभी जिलों को लक्ष्य अनुसार एक सप्ताह में स्वीकृति जारी करने के निर्देश दिये।
- फार्म पौण्ड/टांका/डिग्गी निर्माण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वीकृति जारी नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बारां, बांसवाडा, भरपुर, भीलवाडा, बूँदी, चित्तोडगढ, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, करौली, कोटा, प्रतापगढ, सिरोही, श्री गंगानगर, उदयपुर को स्वीकृतियां जारी नहीं करने के कारणों से अवगत कराने तथा शत–प्रतिशत स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिये गये। इस संदर्भ में निर्देशित किया गया कि जिले की आवश्यकतायें एवं भौगोलिक परिस्थितिनुरूप जल संरक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे यथा–रेन वाटर हारर्वेस्टिंग संबंधी कार्य लिये जा सकते है। यह बजट घोषणा के कियान्वयन से संबंधी होने से इस पर प्रगति न होने को गंभीरता से लेकर कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

- **श्रमिक नियोजन :–** राज्य में कुल 11299 ग्राम पंचायतों में से 10932 ग्राम पंचायतों में 5.88 लाख श्रमिक नियोजित है। योजनान्तर्गत जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार की मांग के अनुरूप स्थानीय आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण आदि कार्यो पर श्रमिक नियोजन करावें।
- **मानव दिवस सृजन :–**योजनान्तर्गत जिलों में गत वर्षो की प्रगति व इस वर्ष के माहवार प्रस्तावित मानव दिवसों के अनुरुप मानव दिवस सृजित किये जावे।
- **100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या :–** जिले में जिन परिवारों द्वारा 70 से अधिक मानव दिवस सृजित कर लिये गये है। उन पर विशेष ध्यान देते हुए 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि अधिक से

अधिक श्रमिक, इस वित्तीय वर्ष की राज्य बजट घोषणा (125 रोजगार दिवस) अनुसार 25 दिवसों के अतिरिक्त रोजगार से लाभान्वित हो सकें।

- **औसत श्रमिक दर** :– राज्य में अधिसूचित श्रमिक दर रुपये 231 के विरुद्ध औसत श्रमिक दर 190 रुपये है। श्रमिकों को समूहवार नियोजित किये जाने, समूहवार मापी एवं भुगतान किये जाने तथा डिफरेन्सियल वेज रेट दिये जाने हेतु सघन समीक्षा की जावे।
- **समयबद्ध भुगतान** : – समस्त जिलों द्वारा श्रमिकों के समयबद्व भुगतान हेतु संबंधित समानान्तरण अधिकारियों की अतिरिक्त डीएससी बनाकर रखी जावे व सघन समीक्षा कर T+8 दिवसों में शत–प्रतिशत भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **रिजेनरेशन ऑफ रिजेक्टड ट्राजेक्शन** :–जिलों में रिजेक्टड ट्राजेक्शन्स बहुत अधिक राशि के लम्बित है अतः समस्त जिलों द्वारा आवश्यक रूप से रिजेक्टेक्ड ट्राजेक्शन 7 दिवस में रिजेनरेट करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- **व्यक्तिगत लाभ के कार्य** :–राज्य में कुल स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध व्यक्तिगत लाभ (पीएमएवाई – जी के अतिरिक्त) के कार्य 45 प्रतिशत स्वीकृत किये गये है। जिलों द्वारा ग्रामीणों की मांग अनुसार अधिक से अधिक व्यक्तिगत लाभ के कार्य स्वीकृत कर कियान्वित किये जाने के प्रयास किये जावे।
- **एनआरएम कार्यों पर व्यय (प्रतिशत)** :–जिलों में एनआरएम कार्यो पर कम से कम 65 प्रतिशत व्यय किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **जियो टेगिंग** :– राज्य में प्रथम फेज के **2890 कार्यों** की जियो टेगिंग बकाया है। जिलों में जियो एमजीनरेगा प्रथम फेज अन्तर्गत पूर्ण कार्यो की तथा द्वितीय फेज अन्तर्गत During and After Stage की शत–प्रतिशत जियो टेंग करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

- **एरिया ऑफिसर निरीक्षण की प्रगति** :– योजनान्तर्गत डीपीसी, एडीपीसी एवं विकास अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार निरीक्षण कर एरिया ऑफिसर ऐप पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें। एरिया ऑफिसर के निरीक्षण की प्रगति शत–प्रतिशत करने के निर्देश दिये गये। पाली, झालावाड, डूंगरपुर, धौलपुर, टोंक जयपुर, करौली एडीपीसी के निर्धारित निरीक्षण नहीं करने के कारण नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।
- **अमृत सरोवर अभियान** :–ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार 15 अगस्त, 2023 तक अमृत सरोवर के समस्त कार्यो को पूर्ण कराया जाना है। अमृत सरोवर पोर्टल पर Identified कार्य एवं ongoing कार्यो का जिला स्तर पर परीक्षण कर कार्यो को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करावें।
- **पंचशाला** :– पंचशाला अंतर्गत नर्सरी, न्यूट्री गार्डन, कैटल शैड, स्वंय सहायता समूहो हेतु कार्यशाला एवं बिल्डिंग मैटेरियल प्रोडेक्शन सेन्टर से संबंधित कार्यो की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुये निर्धारित लक्ष्यानुसार स्वीकृत किये जावे तथा प्रगति नियमित रूप से गूगल स्प्रैडशीट में अपडेट किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **फलदार पौधारोपण (व्यक्तिगत लाभ के कार्य)** :– जिलों में निर्धारित लक्ष्यानुसार व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर अधिकाधिक फलदार वृक्षारोपण करवाये जाने हेतु विशेष प्रयाय किये जावे तथा 10.09.2022 तक शत–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करावें।
- **वृक्षारोपण कार्य (सार्वजनिक भूमि पर)** :–जिले में अमृत सरोवर संरचनाओं, चारागाह भूमि, राजकीय परिसर, सड़क किनारे वृक्षारोपण के कार्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें तथा प्रगति गूगल शीट पर अपडेट करावें व गत वर्ष के लक्ष्यों के अनुसार प्रगति सुनिश्चित्त करवें।
- **महात्मा गांधी नरेगा का जलग्रहण विभाग की योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स** :– पंचायत भूमि पर चारागाह विकास कार्य एवं कैटलशैड निर्माण अन्तर्गत जलग्रहण विभाग की योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स करवाया जावे।

- **15वीं विधानसभा के लम्बित प्रश्न, आश्वासन एवं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव :–** जिलो से लम्बित विधानसभा प्रश्न, आश्वासन व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लम्बित प्रश्नों के प्रतिउत्तर तीन दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- **वित्तीय वर्ष 2021–22 की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट की स्थिति :–** समस्त जिलों द्वारा सी. ए.ऑडिट रिपोर्ट वेबसाईट पर अपलोड करते हुये टिप्पणी सहित मुख्यालय पर दिनांक 10.09.2022 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- **गुड़ गवर्नेन्स :–**जॉब कार्ड का अपडेशन, प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर निर्धारित 7 रजिस्टर एवं मेट रजिस्टर (चयन, नियोजन एवं रोटेशन आदि हेतु) का संधारण, प्रत्येक कार्य स्थल पर तथा ग्राम पंचायत में कार्य की पत्रावली का संधारण नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।
- **श्रमिक कार्ड पंजीयन :–** महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जिन श्रमिकों ने 90 दिवस पूर्ण कर लिये है उन श्रमिकों के श्रमिक कार्ड पंजीयन करवाये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित किया जावे।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा में 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार देने के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

2.प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण :–

- वर्ष 2016–17 से 2020–21 तक स्वीकृत आवासों में से प्रगतिरत 59402 आवसों में से विवादित आवासों को छोड़ कर शेष प्रगतिरत 43911 आवासों को 30 सितम्बर, 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करावें। इस हेतु पचायत समिति स्तर पर कार्यरत सहायक विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक आदि को आवासों को पूर्ण कराने हेतु सघन निरीक्षण का दायित्व सौंपा जावे।
- वर्ष 2021–22 में स्वीकृत आवासों में से प्रगतिरत 307144 आवासों में से अभी भी 89778 आवासों को द्वितीय किश्त जारी नहीं की गई है। इन आवासों को आगामी 15 दिवसों में द्वितीय किश्त जारी करने हेतु निरीक्षण दर्ज कराकर प्रगतिरत आवासों को शीघ्र पूर्ण करावें।
- आवास सॉफ्ट पर पूर्ण 13.47 लाख आवासों में से मात्र 9.26 लाख आवासों के कम में कनवर्जेन्स सूचना दर्ज की गई है, जिनमें से 8.21 लाख आवासों को ही शौचालय सुविधा उपलब्ध है। उक्त संबंध में समस्त पूर्ण आवासों की सूचना अपलोड कराने एवं शौचालय सुविधा विहिन आवासों को नियमानुसार शौचालय निर्मित कराकर अपलोड कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी के 23980 आवेदन फार्म तैयार कर रूडसीको को जिलों द्वारा प्रेषित किये गये, जिन्हे 1 सप्ताह में ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करावे।

3. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31.3.22 को अप्रारम्भ कार्यों को प्रारम्भ नहीं करने एवं दिनांक 31.3.22 को प्रगतिरत कार्यों के दायित्वों का ही भुगतान करने के निर्देश प्रदान किये गये है, इस क्रम में जिलों को समस्त प्रगतिरत कार्यो की समीक्षा कर शून्य व्यय/अप्रारम्भ कार्यो को अविलम्ब निरस्त करने हेतु निर्देशित किया गया था।
- रूर्बन सॉफ्ट पर प्रदर्शित दायित्व एवं जिलो द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार दायित्व में जिला जोधपुर, अलवर, जयपुर, प्रतापगढ, बीकानेर, नागौर, भरतपुर हनुमानगढ आदि में बहुत अधिक दायित्व प्रेषित किया है। उक्त संबंध में सभी जिलों को सघन समीक्षा कर स्वीकृत शून्य व्यय/अप्रारम्भ कार्यो को अविलम्ब निरस्त करते हुये प्रगतिरत / पूर्ण कार्यो का दायित्व, जीयो टैगिंग रूर्बन सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु करते निर्देशित किया गया।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सम्बद्ध से इस संबंध में एक सप्ताह के भीतर वस्तुस्थिति की समीक्षा कर रिपोर्ट लम्बित दायित्वों के सही आंकलन सहित प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी।

4. ग्रामीण विकास की अन्य योजनाऐं:–

- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत 14वीं विधान सभा के जयपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, भीलवाडा, बांसवाडा, अजमेर एवं उदयपुर के प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर समायोजन करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- 14वीं विधान सभा के जयपुर (52), अजमेर (27), चूरू (20) अलवर (19), नागौर (8) कार्य गत वर्षों से अप्रारम्भ हैं। प्रारम्भ करने योग्य कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करे एवं जो कार्य प्रारम्भ नहीं किये जा सकते उनके निरस्ती के प्रस्ताव मुख्यालय को 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 15वीं विधान सभा में जैसलमेर, डूँगरपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक कोटा, जयपुर बाडमेर, अजमेर एवं बीकानेर जिलों की कार्य पूर्णता प्रतिशत राज्य औसत (15 प्रतिशत) से कम है। प्रगतिरत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर समायोजन करने के निर्देश प्रदान किये गये। 15वीं विधान सभा के जयपुर (560), भीलवाडा(348), अजमेर (296), टोंक (284), बांसवाडा (259) एवं अलवर (249) कार्य अप्रारम्भ हैं। कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करावें।
- 15वीं विधान सभा के अभिशंषित कार्यों की निर्धारित अवधि के उपरान्त भी प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ लम्बित है। उनकी स्वीकृतियॉ शीघ्र जारी की जावे।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत श्री गंगानगर, हनुमानगढ, जैसलमेर एवं सवाईमाधोपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2022–23 में एक भी कार्य पूर्ण नहीं करने को गंभीरता से लिया गया। सभी जिलों को गत वर्षों के प्रगतिरत कार्यों को निर्धारित समययावधि में पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किये।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दौसा (84), जयपुर (62), चूरू (57), अलवर (56), भीलवाडा (44) एवं बीकानेर (46) कार्य अप्रारम्भ हैं। कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ करने के निर्देश प्रदान किये गये।
- सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत (लोक सभा एवं राज्य सभा) अभिशंषित कार्यों को ई–वर्क पर अपलोड करने एवं निर्धारित समयावधि में प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कर भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अर्जित किया जाना सुनिश्चित करें।
- भारत सरकार के निर्देशानुसार सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम की कार्य अवधि 30 सितम्बर 2022 तक निर्धारित की गयी है। जिला बाडमेर, बीकानेर, जैसलमेर एवं श्री गंगानगर को योजनान्तर्गत प्रगतिरत कार्यों को 30 सितम्बर तक पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करावें। संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के निर्देशित किया गया कि 30 सितम्बर तक समस्त लम्बित देनदारियों एवं प्रगतिरत कार्यों के भुगतान का सही–सही आंकलन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिशः जिम्मेदार होगें।
- डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्र अन्तर्गत लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।
- डांग योजनान्तर्गत जिला भरतपुर, बारां, कोटा, करौली एवं सवाईमाधोपुर से संशोधित वार्षिक कार्य योजना 16.8.2022 तक भिजवाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे, जिन्हें दिनांक 7 सितम्बर 2022 तक भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- वर्ष 2021–22 की बजट घोषणा की पालना में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिलों से प्रस्तावित कार्य योजना 25–26 जुलाई 2022 तक जिला स्तरीय बैठक में अनुमोदन उपरान्त भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। जिला बीकानेर, धौलपुर, डूँगरपुर, श्री गंगानगर, जालौर, जोधपुर के अतिरिक्त अन्य जिलों से कार्य योजना

अप्राप्त है। शेष जिलों से 7 सिम्बर 2022 तक कार्यों के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये।

5. पंचायतीराज की योजनाऐं:–

- 15वें वित्त आयोग में जिन जिलों में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति राज्य औसत से कम है, वो प्रगति में सुधार करे।
- 15वें वित्त आयोग की प्रगति ई–स्वराज ग्राम पोर्टल पर दर्ज करे क्योंकि 60 प्रतिशत से अधिक व्यय होने पर ही केन्द्र सरकार आगामी किश्त जारी करेगी।
- सितम्बर माह तक सभी ग्राम पंचायतों को Onboard करे।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कम्प्यूटर लगाने की सुनिश्चितता करे तथा लम्पी बीमारी की रोकथाम के लिए कार्यवाही करे। उक्त योजना में भूमि आवंटन से शेष रही ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के बीच अन्य विभागों के साथ समन्वय कर भूमि आवंटन कराने की सुनिश्चितता करे।
- जिन ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन हो गया है वहां तुरन्त स्वीकृति जारी करे। जिन ग्राम पंचायतों में स्वीकृति जारी हो गई उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ करें।
- मिनी सचिवालय के लिए सर्वेक्षण कर कलर कोडिंग करवा कर तथा पुराने व नये परिसर के तकनीकी शाखा को कलर कोडिंग के फोटो भेजे।
- अम्बेडकर भवन के भवन निर्माण का कार्य महानरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन से कन्वर्जेन्स कर कार्यवाही करे।

6. जलग्रहण विकास एवं भू सरंक्षण विभाग :–

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 में स्वीकृत परियोजनाओं में 394 ग्राम पंचायतों में चारागाह विकास के कार्य जिलों द्वारा चिन्हित नहीं किये गये है। उक्त 394 ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक चारागाह विकास कार्य विकसित करने हेतु मनरेगा से convergence कर कार्य करवाये जाने है। आयुक्त, ईजीएस ने बताया कि प्रत्येक पंचायत में मनरेगा अंतर्गत चारागाह विकास कार्यो हेतु स्थान का चयन पूर्व में ही किया जा चुका है। सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी उन चयनित चारागाह विकास कार्य स्थलो में से ही चयन कर मनरेगा से convergence कर स्वीकृती जारी करवायें।
- राजीव गांधी जल संचय योजना द्वितीय चरण अन्तर्गत भी सभी ग्राम पंचायतों में न्यूनतम एक चारागाह विकास कार्य मरनेगा से convergence कर करवाया जाना है। योजना की गाइडलाइन जारी होने के उपरान्त चयनित पंचायतों में इस कार्य हेतु स्थान का चयन कर स्वीकृति जारी करवानी है।
- PMKSY 2.0 एवं RGJSY 2.0 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में व्यक्तिगत लाभ के कार्य यथा फील्ड बन्डिंग के कार्य मनरेगा से convergence कर ही स्वीकृत किये जाने है।
- राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम के अन्तर्गत पूर्ण करवाये गये 129252 कार्यो में से मात्र 50758 कार्यो के ही सी.सी. पोर्टल पर अपलोड किये गये है। पूर्ण करवाये गये कार्यो के बकाया भुगतान करवाकर पूर्णता प्रमाण पत्र अपलोड करवाये जाने है। बारा, भीलवाडा, बाँसवाडा, दौसा, बूंदी, अजमेर, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर तथा डूंगरपुर की प्रगति बहुत ही कम रही है।
- जल शक्ति अभियान अन्तर्गत विभागवार इन्टरवेन्शन वार मॉनटिरिंग की जाकर जे.एस.ए. पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोडिंग करवाये जाने हेतु सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- ओडीएफ प्लस के क्रियान्वयन और क्रय की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ठोस अपशिष्ट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों पर ध्यान दिया जावें।
- जिन जिलों द्वारा IHHL निर्माण के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों के विरूद्ध 100 प्रतिशत प्रगति प्राप्त कर ली है, वे आवश्यकतानुसार अधिक लक्ष्य ले सकते हैं।

- IHHL और CSC में स्वीकृति/ जियोटैगिंग/भुगतान में कम प्रगति वाले जिलों को अपने कार्य की गति में वृद्धि करनी चाहिए।
- जिन जिलों में डीपीआर का अनुमोदन किया जाना शेष है उनका शीघ्र अनुमोदन किया जाना चाहिए, ताकि एसएलडब्ल्यूएम का काम शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके।
- जिन जिलों द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की गई है, उन्हें स्वीकृतियां जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।
- RRC निर्माण कार्य शुरू होने से पहले, उपयुक्त भूमि की पहचान सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ और उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके ।
- क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के दौरान राज्य द्वारा साझा की गई 2000 की आबादी वाले गांवों में मॉडल योजना के क्रियान्वयन की शुरुआत करनी चाहिए ताकि अधिक से अधिक गांवों को दृश्य स्वच्छता (Visual Cleanliness) के साथ मॉडल गांवों में परिवर्तित किया जा सके।
- आजादी का अमृत महोत्सव अन्तर्गत 2 अक्टूबर, 2022 तक 2000 से अधिक आबादी वाले 25 प्रतिशत गांवों में डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों के लिए 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों की प्राथमिकता देनी चाहिए ।
- अग्रिम समायोजन 15 सितंबर तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए और लाभार्थियों को शेष भुगतान इस समीक्षा बैठक के 7 दिनों के भीतर और भविष्य में परिसंपत्तियों (Assets) की जियोटैगिंग के 3 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए।

(बी. एल. वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंराज विभाग।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
5 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज।
6 निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज।
7 निजी सचिव, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)।
8 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
9 जिला कलक्टर समस्त।
10 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
11 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, (एसएपी/मो0एवंमू0), ग्रामीण विकास।
12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
13 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास।
14 संयुक्त निदेशक (मो0), पंचायती राज।
15 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)